झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–950 वर्ष 2017

बंदना देवी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. उपायुक्त, साहिबगंज।
3. जिला विकास आयुक्त, साहिबगंज।
4. जिला कल्याण अधिकारी, साहिबगंज।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, बरहेट।
6. सरला देवी, पत्नी–मुकेश कुमार मंडल, निवासी–जभरी, डाकघर–लाबरी, थाना–बरहेट, जिला–साहिबगंज।

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– X X X

उत्तरदाताओं के लिए:– एस0सी0–II के ए0सी0

श्री एम0के0 लाइक, वरिष्ठ अधिवक्ता

08 / 19.06.2018 याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। हालांकि, प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील मौजूद हैं।

2. याची मुख्य रूप से प्रत्यर्थी सं0 6 की नियुक्ति से व्यथित हैं और इस प्रकार, उसकी नियुक्ति चुनौती के अधीन है।

3. वास्तविक मैट्रिक्स जैसे कि रिट याचिका में वर्णित किया गया है वह यह है कि सामाजिक और कल्याण विभाग द्वारा आंगनवाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता के साथ प्रत्यर्थी सं0 6 ने नियुक्ति के लिए भाग लिया था। याचिकाकर्ता का यह विशिष्ट रूख था कि बिना कोई नोटिस या बर्खास्तगी के आदेश के प्रत्यर्थी सं0 6 को उस पद पर नियुक्त किया गया है जिसपर याची पहले काम कर रहा था।

4. वहीं दूसरी ओर प्रति–शपथपत्र दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थी सं0 6 का प्रतिनिधित्व श्री एम0के0 लाइक, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया है। प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी और अपने पदस्थापन स्थान से अनुपस्थित रही, ग्राम शिक्षा समिति नवे आंगनवाड़ी सेविका की नई नियुक्ति के लिए नई आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। आम सभा की बैठक को भी विधिवत अधिसूचित किया गया था और याचिकाकर्ता के साथ प्रत्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के बारे में पता चला तो वे विधिवत रूप से उसमें भाग लिया गया और प्रत्यर्थी सं0 6 अपेक्षित योग्यता को पूरा करता है और अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उच्च शैक्षिक योग्यता का उपरोक्त पद पर विधिवत चयन किया गया था। यह केवल असफल घोषित किए

जाने के बाद ही है, याची ने इस आधार पर प्रत्यर्थी सं0 6 की नियुक्ति को चुनौती दी है कि कथित नियुक्ति याची को बिना किसी सूचना के और बर्खास्तगी का कोई आदेश दिए बिना की गई है।

5. जो भी हो, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी निवेदनों और अभिलेख पर दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि तत्काल रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। बेशक, आंगनवाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति सामाजिक और कल्याण विभाग द्वारा की जाती है और इस प्रकार, किसी व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह प्रतिवादी–प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो। नए सिरे से आम सभा आयोजित करके उक्त पद को अधिसूचित करना प्रतिवादी राज्य के अधिकार क्षेत्र मतें आता है। बेशक, सभी प्रतिभागियों को उचित नोटिस देने के बाद, आम सभा आयोजित की गई थी और याचिकाकर्ता ने भी इसमें भाग लिया है, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता आम सभा से पूरी तरह अवगत थी। याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया रूख तुच्छ, भ्रामक और कानून की नजर में मान्य नहीं है और प्रत्यर्थी सं0 6 को आंगनवाड़ी सेविका के पद पर नियुक्त करना उचित है। यहां तक कि याचिकाकर्ता को भी मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आदेश पत्रों के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन इसे दाखिल नहीं किया गया है और न ही आज कोई याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुआ है।

6. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

7. सभी लंबित आई0ए0 भी खारिज कर दिया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]